पंचम

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मार्च, 2022 सत्र

वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिये अनुदानों की मांगों

पर

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या – 24, 67, 76, 3, 4, 5, 51, 37.

मांग संख्या – 29, 36, 21, 10.

मांग संख्या – 55, 34.

मांग संख्या – 22, 69, 81, 18.

मांग संख्या – 39, 26, 31.

मांग संख्या – 9, 8, 35, 58 एवं 7 से संबंधित

भाग - एक

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्र	मान. मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण	
1.	**श्री ताम्रध्वज साहू**	24	लोक निर्माण कार्य – सड़कें और पुल	**2 घंटे**
		67	लोक निर्माण कार्य – भवन	
		76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
		3	पुलिस	
		4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	
		5	जेल	
		51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	
		37	पर्यटन	
2.	**श्री मोहम्मद अकबर**	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	**2 घंटे**
		36	परिवहन	
		21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	
		10	वन	
3.	**श्रीमती अनिला भेंडिया**	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	**1 घंटा**
		34	समाज कल्याण	
4.	**डॉ. शिवकुमार डहरिया**	22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय निकाय	**1 घंटा**
		69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय कल्याण	
		81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	
		18	श्रम	
5.	**श्री अमरजीत भगत**	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	**1 घंटा**
		26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	
		31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	
6.	**श्री जयसिंह अग्रवाल**	9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	**1 घंटा**
		8	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	
		35	पुनर्वास	
		58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	
		7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय(पंजीयन एवं मुद्रांक)	

इस संकलन में छत्तीसगढ़ विधान सभा के मार्च, 2022 सत्र में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2022–2023 के आय–व्ययक के संबंध में उपर्युक्त मांग संख्याओं से संबंधित माननीय सदस्यों से प्राप्त कटौती प्रस्तावों की ग्राह्य सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है, कटौती प्रस्तावों में आंशिक रूप में कुछ आवश्यक सुधार किये गये है।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ विधान सभा

वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिये अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव भाग – एक में सम्मिलित मांग संख्याओं पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :–

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष
2. डॉ. रमन सिंह, सदस्य
3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
4. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य
5. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य
6. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य
7. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
8. श्री नारायण चंदेल, सदस्य
9. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य
10. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य
11. श्री सौरभ सिंह, सदस्य
12. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य
13. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य
14. श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य
15. श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य
16. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य
17. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य
18. श्रीमती इन्दू बंजारे, सदस्य

मांग संख्या– 24

लोक निर्माण कार्य – सड़कें और पुल

मतदेय राशि रूपये 26,05,76,67,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 19

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) जिला मुंगेली के तखतपुर पथरिया मार्ग का नवीनीकरण कार्य हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

(2) अधोसंरचना मद में पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

(3) सड़क निर्माण से बेघर हो रहे लोगों को घर बनाकर देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) करही चुनचुनिया पहुंच मार्ग नंबर 4.40 किमी का मजबूतीकरण एवं नवीनीकरण हेतु प्रावधान नहीं है।

(5) जिला मुगेली के सल्फा–धमनी–ककेड़ी पहुंच मार्ग का उन्नयन कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) सल्फा से संकेत पहुंच मार्ग का उन्नयन एवं मजबूतीकरण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(7) पथरिया अटल चौक से पुराना पानी टंकी पहुंच मार्ग का उन्नयन कार्य का उल्लेख नहीं है।

(8) जिला मुंगेली का अण्डर पहुंच मार्ग का नवीनीकरण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(9) जिला मुंगेली के बाउली उमरिया खरसोला मार्ग पथरिया का नवीनीकरण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(10) सरगांव खपरी पहुंच मार्ग लम्बाई 3.60 किमी का मजबूतीकरण एवं नवीनीकरण कार्य का प्रावधान नहीं है।

(11) भठली, हरदी, किरना पहुंच मार्ग लम्बाई 4 किमी का मजबूतीकरण एवं नवीनीकरण का प्रावधान नहीं है।

(12) दगौरी से बरतौरी मार्ग के नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।

(13) भोजपुरी से बिल्हा नवीनीकरण मार्ग उल्लेख नहीं है।

(14) जिला मुंगेली के नहना से बलौदा पहुंच मार्ग का मजबूतीकरण एवं नवीनीकरण का प्रावधान नहीं है।

(15) बिलासपुर पासीद मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण लम्बाई 6.70 किमी निर्गाण का उल्लेख नहीं है।

(16) दर्री–धूमा–सिलपहरी मार्ग लम्बाई 5.30 किमी निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(17) मंगला से चतुर्भुजी मंदिर पहुंच मार्ग का मजबूतीकरण एवं डामरीकरण हेतु प्रावधान नहीं है।

(18) बिल्हा से उमरिया बायपास मार्ग लम्बाई 2 किमी निर्गाण का उल्लेख नहीं है।

(19) कुंआ से नगरडीह मार्ग लम्बाई 3.80 किमी का मजबूतीकरण एवं डामरीकरण हेतु प्रावधान नहीं है।

(20) मुरकुटा चौरहा भैना सिलयारी करही मार्ग का मजबूतीकरण एवं डामरीकरण लम्बाई 5 किमी का उल्लेख नहीं है।

(21) पोड़ी (स) से हरदीकला टोना पहुंच मार्ग लम्बाई 5 किमी निर्माण का प्रावधान नहीं है।

(22) बिल्हा–बरतोरो–अमलीडीह मार्ग लम्बाई 18.30 किमी में मजबूतीकरण एवं डामरीकरण का प्रावधान नहीं है।

(23) राष्ट्रीय राजमार्ग से मदकूदीप पहुंच मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य लम्बाई 4.50 किमी का कोई उल्लेख नहीं है।

2. डॉ. रमन सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) राजनांदगांव जिले के साल्हेवारा नर्मदा सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) राजनांदगांव जिले के ग्राम पटेवा में निर्माणाधीन कलडबरी, घुमका, पटेवा रोड का चौड़ीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) रायपुर शहर के मध्य लोक निर्माण विभाग के सड़कों के मरम्मत, निर्माण उल्लेख नहीं है।

(2) राज्य राजमार्ग व पुल–पुलियों के लिए बजट में पर्याप्त राशि नहीं है।

(3) रायपुर में अटल एक्सप्रेस वे को पूर्ण करने प्रावधान नहीं, उल्लेख नहीं है।

(4) शारदा चौक तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण का उल्लेख नहीं है।

(5) स्काईवॉक को पूर्ण करने उल्लेख नहीं है।

(6) टिकरापारा, धमतरी रोड, संतोषी नगर बाजार, मठपुरैना नहर होकर भाठागांव, केनाल रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(7) स्मार्ट सिटी रायपुर में पैसे के हो रहे दुरूपयोग को रोकने का उल्लेख नहीं है।

(8) राजधानी के विकास के लिए राशि व योजना नहीं है।

(9) स्मार्ट सिटी के राशि में भ्रष्टाचार रोकने का उल्लेख नहीं है।

(10) प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत् सड़कों के संधारण हेतु पर्याप्त राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मुंगेली विधानसभा के ग्राम रोहरा से चारभाठा पहुंच मार्ग के निर्माण का अभाव है।

(2) मुंगेली विधानसभा के ग्राम लिम्हा से गिधा पहुंच मार्ग के निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(3) मुंगेली विधानसभा के D-2 नहर से भटगांव मार्ग के निर्माण का अभाव है।

(4) मुंगेली विधानसभा के खपरी से देवरी जेल पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।

(5) मुंगेली विधानसभा के ग्राम गौराबांधा जेवरा मेनरोड मोड़ मार्ग का निर्माण का अभाव है।

(6) मुगेली विधानसभा के ग्राम चीनू से सीतापुर गौशाला पहुंच मार्ग के निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(7) मुंगेली विधानसभा के ग्राम बिरगांव से फुलवारी पहुंच मार्ग स्वीकृति का अभाव है।

(8) मुंगेली विधानसभा के ग्राम गाँधीनगर से सोदार, हथनी, डांडगांव, जगताकापा, मार्ग की स्वीकृति का अभाव है।

(9) मुंगेली विधानसभा के ग्राम हेडसपुर (प्रतापपुर) डुमरेल नालों पर पुलिया निर्माण के प्रावधान का अभाव है।

(10) पूर्व बजट में स्वीकृत बरेला से तखतपुर ब्लॉक मुंगेली के पुल निर्माण में प्रशासनिक स्वीकृति का अभाव है।

(11) मुंगेली विधानसभा के ग्राम दशरंगपुर से सोढ़ार के बीच हाथी नालों पर पुलिया निर्माण के प्रावधान का अभाव है।

(12) मुंगेली विधानसभा के ग्राम पँडरभठ्ठा से कट्टी पहुँच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(13) मुंगेली विधानसभा के ग्राम छेवरी बस्ती (सैगवा) टेसुवा नाला में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(14) मुंगेली विधानसभा ग्राम सिगबांधा से गुप्ता मार्ग निर्माण के उल्लेख का अभाव है।

(15) मुंगेली विधानसभा के ग्राम किरना से जोता मार्ग पर टेसुवा नालों पर पुलिया निर्माण का प्रावधान नहीं है।

5. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) लोक निर्माण विभागान्तर्गत सड़कों और पुलों के लिये अपर्याप्त मात्रा में राशि दी गयी है।

(2) सामान्य पुल एकामोडेशन में कमी की गई है।

(3) छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेव्हलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट के फेस–2 हेतु राशि अत्यधिक कम है।

(4) सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय की राशि कम है।

(5) अधोसंरचनात्मक निर्माण कार्यों हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(6) लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय का उल्लेख नहीं है।

(7) सुदृढीकरण (सतह) मजबूतीकरण हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(8) वृहद पुलों के निर्माण हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(9) सड़कों और पुलों पूंजीगत परिव्यय की राशि कम है।

6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए राशि का उल्लेख नहीं है।

(2) भाटापारा ग्रामीण क्षेत्र में सड़क जीर्णोद्धार का उल्लेख नहीं है।

(3) भाटापारा शाखा नहर में उच्च स्तरीय पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश की जर्जर सड़कों के रख–रखाव का उल्लेख नहीं है।

(5) जमनईया नालों पर पुल के बारे में उल्लेख नहीं है।

(6) राज्यों को मार्ग, सड़क निर्माण कार्य हेतु पर्याप्त राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

(7) भाटापारा के सिद्धबाबा में ओवरब्रिज निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया है।

(8) अधोसंरचना मद में पर्याप्त राशि के प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

(9) सड़क, पुल, पुलिया निर्माण हेतु पर्याप्त राशि के प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

(10) भाटापारा विधान सभा के ग्राम तरेंगा से तोहरीघाट सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सड़क मरम्मत की राशि का सदुपयोग करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) जांजगीर–चांपा के हसदो नदी पर नये पुल का निर्माण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

राज्य की सड़कों की मरम्मत हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

9. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्राम–विचारपुर एवं ग्राम–राजपुर के मध्य मोहयाड़ नालों पर 10 वर्ष पूर्व से बन रहे अधूरे पुल निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाय।

(2) ग्राम–रबेली, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली एवं ग्राम–विजयपुर, तहसील–लोरमी,जिला–बिलासपुर के मध्य मनियारी नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाय।

(3) ग्राम–घानाघाट एवं ग्राम बघर्रा के मध्य मनियारी नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण की स्वीकृति तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली में प्रदान किया जाय।

(4) ग्राम–डिडौल एवं ग्राम–महरपुर, विकासखण्ड–लोरमी, जिला–मुंगेली के मध्य मनियारी नदी पर उच्च स्तरीय पुल की स्वीकृति दी जाय।

(5) लोरमी नगर में पंडरिया मार्ग एवं मुंगेली मार्ग को जोड़ने वाली 700 मीटर पक्की सड़क का निर्माण नहर के ऊपर करने की स्वीकृति प्रदान करें।

(6) ग्राम–बोघापारा से नगर पंचायत लोरमी, जिला–मुंगेली तक के प्रमुख मार्ग पर नयी सड़क बनाने हेतु स्वीकृति प्रदान करें।

(7) ग्राम–बोड़तरा कला से ग्राम–बोघापारा तक जिला मुंगेली की पी.डब्ल्यू.डी. की सड़क का जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण, मजबूतीकरण का आदेश देने का स्वीकृति दे।

(8) ग्राम–सोमनापुर (पुराना) जय स्तंभ से मोतेसरा में मुरिस बाबा मंदिर तक तहसील–पंडरिया जिला–कबीरधाम में 2 कि.मी. नवीन सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाय।

(9) ग्राम–सरईपसेरा से हरदीबांध से उरईकछार तक लोरमी तहसील जिला मुंगेली में नवीन मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाय।

(10) ग्राम–बंधवा से ग्राम–गोंडखाम्ही तक तहसील–लोरमी जिला–मुंगेली में नवीन सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान नहीं है।

(11) ग्राम–लाखासार से ग्राम–डोंगरिया, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली तक पंहुच मार्ग (पक्के मार्ग) निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान नहीं है।

10. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड बलौदा के ग्राम कंडरा की देवरी सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(2) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम–साजापाली मुख्य मार्ग से गौठान तक डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(3) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के बलौदा विकासखण्ड स्थित ग्राम–दहकोनी पहुंच मार्ग का डब्ल्यू. बी.एम. सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(4) अकलतरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की मरम्मत का प्रावधान नहीं है।

(5) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड बलौदा के ग्राम नवागांव से कलमीटांड तक डब्ल्यू. बी.एम. सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) अकलतरा विधानसभा के क्षेत्र के ग्राम–फहरदा से पिपरसनी तक डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

11. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) रीवाडीह से भड़ोरा के बीच बोराई नदी में निर्मित उच्चस्तरीय पुलिया में पन्ना स्प्रोज सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) भातमाहुल से बरेकेलखुर्द के बीच बोराई नदी में निर्मित उच्च स्तरीय पुलिया पर सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) बनडभरा से मुक्ता के बीच सोननदी में निर्मित उच्चस्तरीय पुलिया में पक्का एप्रोज सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) सलनी से सेन्दुरस के बीच बोराई नदी में निर्मित उच्चस्तरीय पुलिया में पक्का एप्रोज सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) गोविन्दा से पेण्ड्री के बीच हसदेव नदी पर निर्मित उच्च स्तरीय पुलिया में पक्का एप्रोज निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(6) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम घोघटी, बरभांठा से कुरदी तक सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) विधानसभा मालखरौदा के ग्राम बड़ेमुड़पार से सुखड़ा तक सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम–डोमाडीह के भांठापारा मोहल्ला से हाईस्कूल घिवरा तक सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(9) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम–सर्रा मोड़ सेढूरी तक सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(10) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के मुख्य मार्ग से जिरदा बाजारपारा तक सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(11) बाराझर–जैजैपुर–हसोड़े मार्ग का वार्षिक संधारण करने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

(12) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में दर्राभांठा से भोथिया, सलनी, कचंडा तक सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(13) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में बहेराडीह से हरदीडीह सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(14) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में गुचकुलिया से करमनडीह सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(15) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में नरियता से मितैनी तक सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(16) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में सिलाडेही से मोहोडीह सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(17) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में पिसौद़ से भनेतरा लालमाही मार्ग का निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(18) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में पाड़ाहरदी से सेमराडीह होते हुए कलमीडीह तक सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(19) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में मलनी से खजुरावी तक सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(20) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के अकलसरा से मोथिया तक सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(21) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में घोघरी से बड़भाठा सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(22) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में नगारीडीह से मल्दा तक सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(23) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में धमनी से नरियरा तक सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(24) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में बोड़सरा से करमनडीह तक सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(25) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में मुख्य मार्ग से डोमाडीह तक सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(26) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम झालरौंदा से आमापाली तक सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(27) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम आमगांव से काटीभांवर तक सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(28) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के भोथीडीह से पिपरभांवर तक सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(29) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम रनपोटा से झरियाडीया मरघट्टी तक सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(30) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम चोरहाडेवरी से बरकूट तक सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(31) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के मुख्य मार्ग से लिमतरा (कोरतेरा) तक सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

12. श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बेलर नाला विकासखण्ड देवभोग जिला गरियाबंद पर पुलिया निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) चिखली विकासखण्ड मैनपुर जिला–गरियाबंद में पुलिया निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(3) कसाबाग विकासखण्ड व जिला–गरियाबंद में पुलिया निर्माण पैरी नदी में करने का उल्लेख नहीं है।

(4) कुईमाल मैनपुर से उड़ीसा सीमा सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) सहतखोल हतियाल पारा से बीरई विकासखण्ड देवभोग में सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) घोबनमाल से चक्रामाल विकासखण्ड मैनपुर जिला–गरियाबंद में सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

13. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तिल्दा ब्लॉक के तिल्दा से जोता 5 मार्ग पुलिया निर्माण का प्रावधान नहीं है।

(2) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तिल्दा ब्लॉक के ग्राम खड़वा में सड़क व पुल का प्रावधान नहीं है।

(3) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तिल्दा ब्लॉक के ग्राम अब्दा में सड़क का प्रावधान नहीं है।

(4) बलौदाबाजार विधानसभा के अंतर्गत सिमगा ब्लॉक के ग्राम पड़कीडीह में सी.सी. रोड का उल्लेख नहीं है।

(5) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रापण सिमगा ब्लॉक सी.सी. रोड व नाली निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(6) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिमगा ब्लॉक के ग्राम मोहरा से मोहरेंगा रोड निर्माण (जर्जर) का प्रावधान नहीं है।

(7) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तिल्दा ब्लॉक के ग्राम चांपा से कोटा रोड निर्माण का प्रावधान नहीं है।

(8) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तिल्दा ब्लॉक के ताराशिव में सी.सी. रोड निमर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

14. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बेलतरा विधानसभा के मदनपुर में बाजार रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(2) ग्राम–पौंसरा, मेन रोड से सेमरताल सूर्यवंशी मोहल्ला तक रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(3) बैमा से दिलीप चौहान के घर से नया तालाब तक रोड निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(4) बेलतरा मटियारी रोड से जांजी पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(5) टेकर से अकलतरी पहुंच मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) रायपुर पंचायत भवन से पोड़ी तक सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(7) अमतरा से लखनपुर पहुंच मार्ग निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(8) रायपुर पंचायत भवन से कर्मा स्वास्थ्य केन्द्र तक सड़क निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

(9) भाड़ी से रेस्ट हाउस पहुंच मार्ग निर्माण को कोई उल्लेख नहीं है।

(10) रामकृष्ण मिशन आश्रम के सामने वार्ड क्रमांक 68 सिटी बस स्टॉप के बगल से रोड निर्माण किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(11) बेलतरा विधानसभा के अंतर्गत सेमरा में पुल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(12) नेवसा से गढ़वत रोड निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(13) नेवसा से अकलतरी रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(14) बिरकोना रोड हनुमान मंदिर चौक से रमतला तक रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(15) गहवई मोहल्ला से पीपर चौक एवं बुधवारी चौक से हाईस्कूल तक सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(16) गोंदइया से कलमीटार तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(17) गोदइया से रानीगांव पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(18) कर्मा से पाण्डेयपुर (मिल्की तक) रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(19) कर्रा मुख्य मार्ग से जलाशय तक रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(20) सलखा से भाठापार/कडरी तक सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(21) खूंटाघाट से जाली पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(22) कर्रा नहर से अमराईपारा अकलतरी पहुंच मार्ग निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(23) लिम्हा से धौरामुड़ा परपरी पहुंच मार्ग निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(24) रैनपुर से कर्रा पहुंच मार्ग निर्माण कार्य का उल्लेख नही है।

(25) गतौरी मेन रोड से भदौरिया खार रमतला तक रोड निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(26) सेलर से पीपरा तक रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

15. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) धमतरी विधानसभा में ग्राम–पीपरछेड़ी के गागरा मार्ग में पुलिया निर्माण शामिल नहीं है।

(2) धमतरी में रत्नावांधा से महाविद्यालय मोड़ तक चौड़ीकरण कार्य शामिल नहीं है।

(3) धमतरी में सिहावा चौक से नहरनाल चौक तक चौड़ीकरण शामिल नहीं है।

(4) धमतरी विधानसभा क्षेत्र में ग्राम शंकरदार से बलियाग के बीच पुल निर्माण कार्य शामिल नहीं है।

(5) धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भटगांव चौक से सोरम बोरिद मार्ग से चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण शामिल नहीं है।

(6) अम्बेडकर चौक से गंगरेल पहुँच मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का प्रावधान नहीं है।

16. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अधूरी सड़क निर्माण ग्राम डोगावोहरा के सड़क को पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 67

लोक निर्माण कार्य – भवन

मतदेय राशि **रूपये 15,03,50,86,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 19

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) जिला मुंगेली के पथरिया विश्राम गृह में एक नग अतिरिक्त कक्ष निर्माण का उल्लेख नहीं है।

   (2) जिला मुंगेली के चन्द्रखुरी विश्राम गृह में 01 अतिरिक्त कक्ष निर्माण एवं चार दिवारी का निर्माण कार्य हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) रायपुर कलेक्ट्रेट के कम्पोजिट बिल्डिंग के लिए बजट में उल्लेख नहीं है।

   (2) पेंशनबाड़ा रायपुर के जर्जर शासकीय आवासों के लिए मरम्मत हेतु पर्याप्त राशि नहीं है।

3. **श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) लोक निर्माण विभागान्तर्गत भवनों के निर्माण की राशि अपर्याप्त है।

   (2) मानक प्रयोगशालाओं में भवन निर्माण हेतु राशि अपर्याप्त है।

   (3) वृहद निर्माण कार्य की राशि में कमी की गई है।

   (4) जिला इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर के भवन निर्माण हेतु राशि कम है।

   (5) कार्यालयों की इमारतों के लिये राशि की कटौती गई है।

   (6) होमगार्ड परिसर निर्माण हेतु राशि की कटौती की गई है।

4. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश शासकीय कर्मचारी के लिए शासकीय आवास बनाने हेतु कोई कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) सिमगा में विशाल नगर भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

   (3) विधानसभा भाटापारा के सामाजिक भवनों के निर्माण हेतु पर्याप्त राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

   (4) करही बाजार चौकी में पुलिस आवास का कोई उल्लेख नहीं है।

   (5) वृहद निर्माण कार्य हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

   (6) विधानसभा भाटापारा के भवनों की स्थिति जर्जर है संधारण हेतु बजट का कोई प्रावधान नहीं है।

5. **श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

अनुरक्षण और मरम्मत के लिए राशि का उल्लेख नहीं है।

6. **श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

देवभोग जिला गरियाबंद में न्यू सर्किट हाउस निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

7. **श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिमगा ब्लॉक के ग्राम नयापारा में भवन निर्माण का प्रावधान नहीं है।

(2) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तिल्दा ब्लॉक में ग्राम पंचायत सतभोवा के आश्रित गांव खपरीखुर्द में भवन का उल्लेख नहीं है।

(3) बलौदाबाजार विधानसभा के अंतर्गत ग्राम खपरी (पुरेना) में मंगल भवन का उल्लेख नहीं है।

(4) बलौदाबाजार विधानसभा के अंतर्गत तिल्दा नेवरा में मंगल भवन का प्रावधान नहीं है।

8. **श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बेलतरा विधानसभा के साईंस कॉलेज मैदान में बन रहे अधूरे ऑडिटोरियम को पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 76

लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

मतदेय राशि **रूपये 9,40,15,03,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 19

1. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

लोक निर्माण विभागान्तर्गत सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत व्यय की राशि नहीं है।

2. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) लोक निर्माण विभाग में एक भी वृहद योजना विदेशों से सहायता प्राप्त संचालित होने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) विदेशों से सहायता प्राप्त करने में लोक निर्माण विभाग शून्य है।

मांग संख्या– 3

पुलिस

मतदेय राशि **रूपये 56,65,78,22,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 2

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) नक्सल समस्याओं को समाप्त करने के लिये उचित नीति का उल्लेख नहीं है। पर्याप्त राशि का प्रावधान भी नहीं है।

(2) प्रत्येक पुलिस थाना में महिला सेल बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश को ड्रग्स माफिया से मुक्ति करने के लिए कोई योजना का प्रावधान नहीं है।

(4) साकेत चौकी को पूर्ण थाना बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

(5) चिटफंड कंपनी द्वारा प्रभावित लोगों को राशि लौटाने हेतु शासकीय मद में राशि आवंटन का उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) रायपुर दक्षिण विधानसभा में चंगोराभाठा में नए थाना खोलने का उल्लेख नहीं है।

(2) पुलिस परिवारों के पेंशन वृद्धि का उल्लेख नहीं है।

(3) पुलिस साप्ताहिक अवकाश को लेकर उल्लेख नहीं है।

(4) सभी थानों में महिला सेल बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) पुलिस हिरासत में हो रही मौतें व उनको सहायता का उल्लेख नहीं है।

(6) मानव तस्करी रोकने की कोई योजना नहीं है।

(7) पर्याप्त नवीन पुलिस भर्ती हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

(8) पत्रकार सुरक्षा कानून का प्रावधान नहीं है।

(9) पुलिस कल्याण हेतु समुचित राशि का उल्लेख नहीं है।

(10) नगर सेना के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि का उल्लेख नहीं है।

(11) पुलिस कर्मचारियों के वेतन भत्तों में वृद्धि का उल्लेख नहीं है।

(12) नक्सल समस्या के उन्मूलन का उल्लेख नहीं है।

(13) प्रदेश से गायब हुई लाखों कन्या/महिलाओं को खोजने की कोई योजना नहीं है।

(14) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विराम हेतु पर्याप्त राशि नहीं है।

(15) अवैध गाजा रोकने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पुलिस विभाग हेतु पूंजीगत परिव्यय की राशि पर्याप्त नहीं है।

(2) राज्य पुलिस परिव्यय की राशि अपर्याप्त है।

4. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) दूसरे राज्यों में बंधकों को वापस लाने हेतु कोई प्रयास नहीं है।

(2) गांजा, अवैध शराब, चरस आदि के कारोबार को रोकने हेतु नवीन प्रयासों का अभाव है।

(3) मानव तस्करी को रोकने हेतु नवीन योजना का अभाव।

(4) पुलिस आधुनिकीकरण हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधन नहीं है।

(5) पुलिस आरक्षकों को 2800 ग्रेड पे देने का उल्लेख नहीं है।

(6) पुलिसींग व्यवस्था दुरूस्ती हेतु राशि आबंटन पर्याप्त नहीं है।

(7) पुलिस परिवारों को रहने हेतु पर्याप्त आवास निर्माण का प्रावधान नहीं है।

(8) प्रदेश में बढ़ते अपराधों को रोक पाने में सरकार असफल है।

(9) पुलिस बल हेतु आवास की सुविधा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(10) सड़कों पर रात्रि पेट्रोलिंग/गश्त सुनिश्चित किये जाने की योजना का उल्लेख नहीं है।

(11) प्रदेश में बढ़ते कारोबार–हुक्काबार, गांजा, कोकीन, शराब नशे की गोलियां, इंजेक्शन पर प्रतिबंध करने का उल्लेख नहीं है।

(12) प्रदेश में सूखा नशा रोकने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(13) गांजा तस्करी रोकने की योजना का उल्लेख नहीं है।

(14) राज्य के सभी थानों/चौकी में पुलिस वाहनों हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(15) पुलिस कर्मचारियों को यात्रा भत्ता और वर्दी भत्ता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(16) महिला उत्पीड़न रोकने प्रभावी योजना का उल्लेख नहीं है।

(17) प्रत्येक थाने में महिला सेल का उल्लेख नहीं है।

(18) पुलिस कल्याण योजना हेतु राशि का प्रावधान नहीं है।

(19) गंभीर आरोपियों को पकड़ने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

5. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

नगर सेना के वेतन में वृद्धि करने का कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

कोरबा जिला के अनेक थानों में प्रथम सूचना दर्ज करने के बाद कार्यवाही नहीं करना और उसके विरूद्ध चालान पेश नहीं करने से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। इसलिये पुलिस विभाग के बजट में कटौती किया जाये।

7. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के अकलतरा थाने का अहाता निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के बलौदा थाने का अहाता निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के पंतोरा चौकी का अहाता निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम रायपुरा में पुलिस चौकी खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

9. श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) घुरलागुड़ी विकासखण्ड मैनपुर में नवीन पुलिस चौकी खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

(2) झाखरपारा विकासखण्ड देवभोग, जिला–गरियाबंद में नवीन पुलिस चौकी खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

(3) रसेला विरत बुरा जिला गरियाबंद में नवीन पुलिस चौकी खोलने का उल्लेख नहीं है।

10. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तिल्दा नेवरा पुलिस थाना के भवन का उल्लेख नहीं है।

(2) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के बलौदाबाजार सीटी कोतवाली में भवन का उल्लेख नहीं है।

11. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पुलिस कर्मचारियों के साप्ताहिक अवकाश की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(2) बेलतरा में नवीन पुलिस थाना खोलने का उल्लेख नहीं है।

12. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अर्जुनी थानों हेतु नये थाना भवन के लिए बजट में प्रावधान किया जाये।

(2) धमतरी विधानसभा के ग्राम छाती में पुलिस चौकी हेतु प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 4

गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय

मतदेय राशि रूपये 85,67,96,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 2

1. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   आग से बचाव और उसका नियंत्रण हेतु राशि कटौती की गई है।

2. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) नक्सली समस्याओं के उन्मूलन पर चर्चा का उल्लेख नहीं है।

   (2) नागरिकों के सुरक्षा हेतु पर्याप्त धन राशि का अभाव है।

3. **श्री रजनीश कुमार सिंह : एक रूपये की कमी की जावे.**

   चिटफंड कंपनी के शिकार लोगों को राशि लौटाने का उल्लेख नहीं है।

4. **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   नागरिक सुरक्षा हेतु राशि बहुत कम है।

मांग संख्या– 5

जेल

मतदेय राशि रूपये 1,97,49,50,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 3

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**
   - (1) बंदियों के कौशल उन्नयन के उपायों का उल्लेख नहीं है।
   - (2) प्रदेश की जेलों में कम्प्यूटरीकरण तथा आधुनिकीकरण हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   - (1) रायपुर में नए केन्द्रीय कारागार का उल्लेख नहीं है।
   - (2) जेलों हेतु जेल पुलिस व अन्य कर्मियों की पर्याप्त भर्ती का उल्लेख नहीं है।
   - (3) जेलों के आधुनिकीकरण व विस्तार की योजना नहीं है।

3. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश की जेलों में चिकित्सा एवं क्षतिपूर्ति हेतु राशि बहुत कम है।

4. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   - (1) कैदियों को स्वरोजगार तथा कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण देने राशि का प्रावधान कम है।
   - (2) जेलों में सेटप के आधार पर भर्ती तथा पदोन्नति की व्यवस्था उदासीन है।
   - (3) सिमगा में उपजेल की स्थापना का प्रावधान नहीं है।
   - (4) जेल प्रहरियों, अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही नहीं है।
   - (5) प्रदेश के जेलों के रख–रखाव सुदृढ़ीकरण हेतु राशि का अभाव है।
   - (6) कैदियों को जेलों की क्षमता से अधिक रखा गया है, नये जेल निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।
   - (7) प्रदेश के जेलों में चल रही अवैध वसूली के कारोबार को रोकने की योजना रही है।

5. **श्री ननकीराम कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   राज्य में जेलों की व्यवस्था सुधारने हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

6. **श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   बैमा नगोई में (बेलतरा विधानसभा) बनने वाले नये जेल भवन का निर्माण प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 51

धार्मिक न्यास और धर्मस्व

मतदेय राशि रूपये 18,75,00,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 6

1. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) प्रदेश के तीर्थ स्थलों की विकास की योजना नहीं है।
   (2) मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा पुनः आरंभ करने का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) मुंगेली विधानसभा के ऐतिहासिक एवं प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार का कोई प्रावधान नहीं है।
   (2) मुंगेली विधानसभा के पर्यटन स्थल ग्राम देवगाँव में धर्मशाला भवन निर्माण का अभाव है।

3. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   तीर्थ स्थानों मंदिरों की देखभाल हेतु राशि की कटौती की गई है।

4. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) प्रदेश के मंदिरों के पुजारियों को मानदेय देने का उल्लेख नहीं है।
   (2) भाटापारा मौली माता मंदिर को अनुदान का उल्लेख नहीं है।
   (3) धर्मस्व संचालनालय एवं अन्य कार्यालयों हेतु बजट प्रावधान बहुत कम है।
   (4) मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना में राशि का प्रावधान बहुत कम है।

5. **श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) तीर्थ यात्रा योजना को प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
   (2) भूतेश्वर महादेव गरियाबंद को जीर्णोद्धार करने का कोई उल्लेख नहीं है।

6. **श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   मुख्यमंत्री तीर्थ योजना प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

7. **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   तीर्थ स्थानों, मंदिरों आदि की देखभाल हेतु राशि बहुत कम है।

मांग संख्या– 37

पर्यटन

मतदेय राशि **रूपये 1,26,24,18,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 30

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) पर्यटन विकास एवं पर्यटन स्थलों को सुगम बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

   (2) ग्राम ताला का पर्यटन के दृष्टिकोण से बढ़ाने व विकसित करने का प्रावधान नहीं है।

   (3) मदकूदीप को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का उल्लेख नहीं है।

   (4) रतनपुर के प्रति वर्ष आयोजित होने वाले आदिवासी पून्नी मेला हेतु स्थाई अधोसंरचना तथा नियमित आयोजन हेतु प्रावधान नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   पर्यटन क्षेत्रों के विकास हेतु पर्याप्त राशि नहीं है।

3. **श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) मुंगेली विधानसभा के पर्यटन स्थल ग्राम चकरभाठा में धर्मशाला भवन का अभाव है।

   (2) मुंगेली विधानसभा के पर्यटन स्थल ग्राम खर्राघाट में सामुदायिक भवन निर्माण का अभाव है।

   (3) मुंगेली विधनसभा के पर्यटन स्थल सेतगंगा में सामुदायिक भवन निर्माण का अभाव है।

4. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन विकास मंडल को प्राप्त अनुदान अत्यधिक कम है।

5. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) बाहर के राज्यों से आने वाले पर्यटकों हेतु पर्याप्त सुविधा का अभाव है।

   (2) दामाखेड़ा कबीर धर्म नगरी को विकसित करने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

   (3) जिला तथा विकासखंड स्तर पर पर्यटन कोष की स्थापना का प्रावधन नहीं है।

   (4) पर्यटन विकास योजना के लिये कोई कार्ययोजना नहीं है।

   (5) राम वन पथ गमन योजना हेतु पर्याप्त राशि का अभाव है।

   (6) तालागांव पर्यटन केंद्र में विशाल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

   (7) मदकूदीप पर्यटन के विकास के लिये राशि नहीं दी गयी है।

6. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जिला पर्यटन की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

राज्य में पर्यटन को बढ़वा देने पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

8. श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) कांदाडोंगर विकासखण्ड मैनपुर जिला गरियाबंद को पर्यटन के विकास विस्तार हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

(2) पैरी उद्‌गम घाटीगढ़ विकासखण्ड मैनपुर को पर्यटन बनाने का उल्लेख नहीं है।

(3) ऋषिझरन विकासखण्ड देवभोग को पर्यटन स्थल बनाने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

खारंग जलाशय को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रावधानों का उल्लेख नहीं है।

10. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डोंगेश्वर धाम पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 29

न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन

मतदेय राशि रूपये 4,59,95,90,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 21

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   नगर पंचायत पथरिया में सिविल न्यायालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) वकीलों के संरक्षण के लिए विशेष कानून का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

   (2) प्रदेश के अधिवक्ता कल्याण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश के अधिवक्ता कल्याण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) प्रदेश की न्याय प्रशासन सुदृढ़ीकरण हेतु मशीन एवं उपकरणों हेतु राशि का काई प्रावधान नहीं किया गया है।

   (3) बलौदाबाजार जिले में अधिवक्ताओं के आवास हेतु हाऊसिंग ग्रुप योजना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

4. **श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   अधिवक्ता कल्याण हेतु हाऊसिंग ग्रुप की योजनाओं का कोई प्रावधान नहीं है।

5. **श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) लोरमी तहसील जिला–मुंगेली में वर्षों से कार्यरत व्यवहार न्यायालय के भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं किया गया है।

   (2) लोरमी तहसील जिला–मुंगेली में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान करने का उल्लेख नहीं किया गया है।

6. **श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के बलौदा तहसील में तृतीय वर्ग व्यवहार न्यायालय स्वीकृत करने का उल्लेख नहीं किया गया है।

   (2) प्रदेश में रंगीन फोटोयुक्त आधारकार्ड नम्बर के साथ मतदाता सूची प्रकाशन का कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 36

परिवहन

मतदेय राशि | रूपये 1,05,08,39,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 08

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) बिलासपुर रायपुर नॉन स्टॉप परिवहन सेवा द्वारा नियम की अवहेलना करने पर विभाग द्वारा ठोस कार्यवाही के लिए कोई कार्ययोजना का प्रावधान नहीं है।

(2) बिलासपुर से हाईकोर्ट तक नियमित परिवहन संचालित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) नगर पंचायत बोदरी में बस यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय निर्माण करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) बिलासपुर शहर में सुगम यातायात हेतु सिटी बसों की संख्या बढ़ाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) अंतर्राज्यीय अवैध परिवहन को रोकने को कोई प्रावधान नहीं है।

(6) परिवहन विभाग में हो रही अवैध वसूली को रोकने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(7) मोटर साइकिल से हो रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु कोई कार्ययोजना का प्रावधान नहीं कोई प्रावधान नहीं है।

(8) बिलासपुर से बरतॉरी व्हाया बिल्हा सिटी बस चलाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(9) बिलासपुर से पर्यटन केन्द्र ताला में सिटी बस चलाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(10) यात्री परिवहन हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(11) कॉलेज एवं स्कूली छात्र–छात्राओं को मुफ्त निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदाय करने का कोई प्रावधान नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) परिवहन बैरियरों में अवैध वसूली को रोकने कोई योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।

(2) यात्री परिवहन की उचित सुविधा का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) अवैध परिवहन रोकने कोई योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।

(4) कॉलेज एवं स्कूली छात्रों के मुफ्त परिवहन हेतु कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(5) रायपुर शहर का यातायात सुधारने उपायों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

3. **श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्यः एक रूपये की कमी की जावे.**

मुंगेली जिला में सिटी बस चलाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में निजी बसों के द्वारा पर्यावरण नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, उनके द्वारा फैलाये गए प्रदूषण की मॉनिटिरिंग एवं रोकथाम का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) यातायात सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) बलौदाबाजार–भाटापारा जिले में सिटी बस संचालन प्रारंभ करने कोई उल्लेख नहीं है।

(4) भाटापारा विधानसभा के भाटापारा शहर में ट्रान्सपोर्ट नगर खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(5) प्रदेश में ओवरलोडेड वाहनों पर परिवहन विभाग द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(6) प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कोई भी बजट का उल्लेख नहीं किया गया है।

(7) भारी माल वाहक वाहनों में सुरक्षा उपकरणों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(8) प्रदेश में बस यात्री प्रतीक्षालय निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(9) प्रदेश के स्कूली, कॉलेज के छात्र–छात्राओं को मुफ्त परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(10) परिवहन विभाग में अवैध वसूली रोकने हेतु कोई कार्ययोजना का प्रावधान नहीं है।

5. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अंतर्राज्यीय अवैध परिवहन को रोकने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

6. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के अधिकतम ट्रैफिक दबाव वाले स्थानों पर कैमरा लगाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(2) प्रदेश के सभी चौराहों पर रेड लाईट की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(3) प्रदेश में इलेक्ट्रीक वाहन की खरीदी पर अनुदान राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

7. श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्कूली छात्र–छात्राओं को मुफ्त परिवहन उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(2) देवभोग व झाखरपारा में यात्री प्रतीक्षालय बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बलौदाबाजार विधानसभा के अंतर्गत तिल्दा–नेवरा में ट्रान्सपोर्ट भवन बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) बलौदाबाजार में हाईटेक बस स्टैण्ड के बजट का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बलौदाबाजार में ट्रान्सपोर्ट भवन बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।

9. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) कोरोना के समय बंद सिटी बसों का संचालन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में हो रही लगातार दुर्घटना व असामायिक मृत्यु को रोकने कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 21

आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 5,79,15,64,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 32

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र की कोल वाशरी के धूल और धुंआ से ग्राम–नागपुरा परसदा को प्रदूषण से रोकने का कोई प्रावधान नहीं है।
   (2) बिलासपुर पेपर मिल का पानी अरपा नदी में जा रहा हैं। उसको रोकने का कोई प्रावधान नहीं है।
   (3) नदियों में प्रदूषित पानी जाने से रोकने के उपायों हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
   (4) बिलासपुर नगर निगम में गेरेज का पानी नदी में जा रहा है। उसको रोकने का कोई प्रावधान नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) अवैध प्लॉटिंग रोकने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
   (2) नदियों के प्रदूषण रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
   (3) औद्योगिक प्रदूषण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
   (4) प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

3. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) विकास योजना बनाना पुनर्विलोकन एवं उपान्तरण करने हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।
   (2) आवास पर पूंजी परिव्यय कम है।
   (3) सरकारी रिहायशी इमारतें निर्माण में कमी है।

4. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) प्रदेश के औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
   (2) नगर एवं ग्रामीण निवेश विभाग मे नक्शे की स्वीकृति के आधुनिकीकरण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
   (3) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कालोनाईजर्स पर अंकुश लगाने हेतु किसी भी कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(4) प्रदेश में प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(5) नगर एवं ग्राम निवेश विभाग में कर्मचारियों को भर्ती करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

5. **श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) नया रायपुर स्थित शासकीय भवनों में भू-जल संरक्षण हेतु उपायों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(2) प्रदेश के ताप-विद्युत संयंत्रों में PGD (सल्फर कम करने हेतु) यंत्र स्थापित करने हेतु कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

6. **श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

विधानसभा क्षेत्र बलौदाबाजार के अंतर्गत उद्योगों में से निकलने वाले धुंए को सुरक्षित करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

7. **श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश के उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण रोकने वाली यंत्रों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

8. **श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

नदियों में प्रदूषित पानी रोकने के उपाय हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

9. **श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास निर्माण प्रारंभ करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 10

वन

मतदेय राशि रूपये **18,14,91,29,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 10

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश में वनों की अवैध कटाई रोकने का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) अनुसूचित क्षेत्रों में वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने कोई प्रावधान नहीं है।

(3) कानन पेंडारी बिलासपुर में वन्यप्राणियों की मृत्यु रोकने कोई कार्ययोजना का प्रावधान नहीं है।

(4) वन आधारित पट्टा प्रदान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) एलीफेंट कारीडोर के लिए राशि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(2) वनों की अवैध कटाई रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) अवैध शिकार रोकने कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं किया गया है।

(4) कैम्पा राशि के भ्रष्टाचार रोकने कोई योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।

(5) तेंदूपत्ता संग्राहकों को पर्याप्त बोनस का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(6) वृक्षारोपण की स्पष्ट नीति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

3. **श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्यः एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) मुंगेली जिला में अवैध वन कटाई को रोकने हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(2) मुंगेली जिला के वन ग्रामों के विकास संबंधी प्रावधानों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(3) मुंगेली विधानसभा में व्यापक पैमाने पद वृक्षारोपण के संरक्षण एवं संर्वधन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(4) मुंगेली जिला के वन क्षेत्रों में सड़क, पुलिया एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का उल्लेख नहीं किया गया है।

(5) मुंगेली विधानसभा के राज्य/जिला एवं ग्रामीण व मार्गों के किनारे वृक्षारोपण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(6) वृक्षारोपण की स्पष्ट नीति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

4. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) पर्यावरण वानिकी और वन्यजीवन हेतु राशि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(2) परिवहन की खरीद और अनुरक्षण हेतु राशि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(3) वन संरक्षण और विकास तथा संपोषण की राशि पर्याप्त नहीं है।

(4) वन प्रबंध सुदुढीकरण एवं विकास हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

5. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश मे वनों के विस्तार एवं क्षेत्रफल में वृद्धि हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं किया गया है।

(2) प्रदेश में एलीफेन्ट कॉरिडोर की कोई योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।

(3) बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई येाजना का उल्लेख नहीं किया गया है।

(4) वन्य प्राणियों की अवैध शिकार की रोकथाम हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।

(5) हाथी एवं वन्य जीव अभ्यारण्य सुरक्षा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(6) प्रदेश में वृक्षारोपण हेतु स्पष्ट नीति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(7) बारनवापारा को अर्न्तराष्ट्रीय स्तरीय अभ्यारण्य बनाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(8) प्रदेश के सभी राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(9) भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के सिमगा विकासखंड में वन क्षेत्रों के विकास योजनाओं का कोई उल्लेख नहीं है।

(10) प्रदेश मे वनों की अवैध कटाई रोकने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(11) प्रदेश के हाथी प्रभावित क्षेत्रों के पुर्नवास किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।

6. **श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) वृक्षारोपण हेतु स्पष्ट नीति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(2) पर्यावरण वानिकी हेतु पर्याप्त आबंटन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

7. **श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) अचानकमार टाईगर रिजर्व का प्रवेश द्वार ग्राम–खुड़िया एवं ग्राम–कंचनपुर, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली में प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(2) अचानकमार टाईगर रिजर्व तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली के कोरजोन के गांवों को वनमार्ग बनाकर जोड़ने की स्वीकृति प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(3) प्रदेश में पिछले 2 वर्षो से वन्य प्राणियों के अवैध शिकार एवं असामान्य मौतों को रोकने किसी कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

8. **श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) अचानकमार अभ्यारण्य के अंदर मुख्य सड़क के निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) लेमरू हाथी परियोजना की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश में वनों में आग की रोकथाम करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम–सोनडीह में बांस, बाड़ी का संचालन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) वन विभाग के दैनिक भोगी कर्मचारियों के वेतनवृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) वन विभाग के दैनिक भोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) प्रदेश में वन्यजीवों के उपचार के लिए विशेष पशु औषधालय की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड के ग्राम–गतवा में हाईटेक नर्सरी बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(9) प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में पुनः शेर को छोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है।

(10) राज्य वन भैंसा के प्रजनन का कोई उल्लेख नहीं है।

(11) अचानकमार राष्ट्रीय उद्यान के गांवों के विस्थापन का कोई उल्लेख नहीं है।

(12) भोरमदेव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(13) अकलतरा विधानसभा के लीलानगर नदी तट पर नदी किनारे वृक्षारोपण का उल्लेख नहीं है।

9. **श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) सभी राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ाने हेतु किसी कारगार योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

10. **श्री डमरूधर पुजारी , सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

वनों की अवैध कटाई रोकने कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

11. **श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बलौदाबाजार ब्लॉक ग्राम–खिलवारडीह जंगल में तालाब सौंदर्यीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तिल्दा ब्लॉक बिलाड़ी जंगल में तालाब सौंदर्यीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सोनबरसा जंगल में तालाब सौंदर्यीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

12. श्री रजनीश कुमार सिंह सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बेलतरा विधानसभा के नवापारा फदहाखार के वन ग्राम से राजस्व ग्राम बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में हाथी के मौतों को रोकने कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 55

महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय

मतदेय राशि रूपये 11,36,34,00,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 39

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) महिला स्व सहायता समूहों का कर्ज माफी का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) कुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने समय–सीमा का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) ग्राम–सिलतरा विधानसभा पथरिया जिला–मुंगेली में आंगनबाड़ी हेतु खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) नगर पंचायत सरगांव के 09 वार्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) यातायात नगर परसदा के आश्रितपारा आवासपारा में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(6) यातायात नगर परसदा के आश्रितपारा नवापारा में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

2. **डॉ. रमन सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कलेक्टर दर पर भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) महिला स्व सहायता समूहों की कर्ज माफी का विभागीय बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

3. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के भवन निर्माण विहीन आंगनबाड़ी के लिए भवनों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(2) महिला स्व सहायता समूहों के ऋण माफी का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) महिला सदस्य के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

4. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) विशेष पोषाहार हेतु राशि की मात्रा का उल्लेख नहीं है।

(2) महिला जागृति शिविर अंतर्गत अनुदान राशि के उन्नयन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

5. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कलेक्टर दर पर भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) प्रदेश में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर में कार्यरत कर्मचारियों को शासकीय भत्ता एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने का उल्लेख नहीं किया गया है।

(3) नोनी सुरक्षा योजना के लिए पर्याप्त राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) प्रदेश में कुपोषण से मुक्ति हेतु उपायों का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) प्रदेश की सभी आंगनबाड़ियों में स्वयं के भवन का कोई प्रावधान नहीं है।

(6) महिला स्व सहायता समूहों की कर्ज माफी का कोई प्रावधान नहीं है।

6. **श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

महिलाओं की सुरक्षा पर कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

7. **श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश में पुराने आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(2) प्रदेश में अधूरे आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(3) प्रदेश में नवीन आंगनबाड़ी भवन का निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(4) प्रदेश में नवीन आंगनबाड़ी एवं अधूरे तथा मरम्मत योग्य आंगनबाड़ी भवनों का जीर्णोद्धार करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) प्रदेश में मितानिनों के मानदेय में वृद्धि करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(6) प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकताओं के मानदेय में वृद्धि करने का कोई प्रावधान नहीं है।

8. **श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

मितानिनों के मासिक वेतनमान 5000 रू देने को का कोई उल्लेख नहीं है।

9. **श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) बलौदाबाजार विधानसभा के अंतर्गत तिल्दा ब्लॉक ग्राम–सरफोंगा आंगनबाड़ी में पोषण आहार का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) बलौदाबाजार विधानसभा के अंतर्गत बलौदा ब्लॉक ग्राम–लड़वा आंगनबाड़ी में पोषण आहार का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) बलौदाबाजार विधानसभा के अंतर्गत बलौदा ब्लॉक ग्राम–खजरी आंगनबाड़ी में पोषण आहार का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) बलौदाबाजार विधानसभा के अंतर्गत बलौदा ब्लॉक ग्राम–सोनाडीह आंगनबाड़ी में पोषण आहार का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) बलौदाबाजार विधानसभा के अंतर्गत बलौदा ब्लॉक ग्राम–घंवई आंगनबाड़ी में पोषण आहार का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) बलौदाबाजार नगर पालिका में वार्ड क्रं 14 में आंगनबाड़ी हेतु बजट का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) बलौदाबाजार विधानसभा के अंतर्गत बलौदा ब्लॉक ग्राम–कंजी में आंगनबाड़ी का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) बलौदाबाजार विधानसभा के अंतर्गत बलौदा ब्लॉक ग्राम–कोयलारी में आंगनबाड़ी का कोई उल्लेख नहीं है।

(9) बलौदाबाजार विधानसभा के अंतर्गत बलौदा ब्लॉक ग्राम–करमदा में आंगनबाड़ी का कोई उल्लेख नहीं है।

10. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) महिला स्व सहायता समूहों को कर्ज माफी का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) बेलतरा विधानसभा के भवन विहीन आंगनबाड़ी के भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) नये आंगबाड़ी केन्द्र खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

11. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि करने का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 34

समाज कल्याण

मतदेय राशि रूपये 1,15,64,10,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 26

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) सामाजिक सेवाओं हेतु पर्याप्त आंबटन का कोई प्रावधान नहीं है।
   (2) प्रदेश के दिव्यांगों को गोद लेकर उनकी आजीविका सम्मानपूर्वक भत्ता बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
   (3) विधानसभा क्षेत्र बिल्हा में दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।
   (4) दिव्यांगों को घर पहुंचकर पेंशन देने का कोई प्रावधान नहीं है।
   (5) बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की व्यवस्था करने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

2. **डॉ. रमन सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन देने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

3. **श्री बृजमोहन अग्रवाल : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) सर्व विधवा पेंशन देने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
   (2) सर्व वृद्धा पेंशन देने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
   (3) दिव्यांगों के लिए बजट में कोई उचित प्रावधान नहीं किया गया है।

4. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) प्रधानमंत्री मातृ वंदना अंतर्गत यात्रा भत्ता की राशि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
   (2) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय के लिए राशि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
   (3) विकलांग कल्याण के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
   (4) समाज कल्याण व बाल कल्याण हेतु राशि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
   (5) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
   (6) कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन राशि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
   (7) राष्ट्रीय वृद्धापेंशन हेतु राशि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
   (8) सुखद सहारा योजना में वैयक्तिक अनुदान के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
   (9) राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना अंतर्गत राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतमाता वाहिनी के महिलाओं को मानदेय देने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(2) विधवा, परित्यक्ता महिलाओं के पेंशन बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(3) वृद्धावस्था विधवा एवं विकलांगों पेंशन वितरण व्यवस्था करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) सामाजिक सेवाओं हेतु पर्याप्त आबंटन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(5) तीर्थयात्रा योजना हेत पर्याप्त राशि प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण में स्वैच्छिक संगठनों को सहायता राशि देने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

6. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में सुखद सहारा पेंशन योजना के तहत भुगतान में वृद्धि करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(2) प्रदेश में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के भुगतान में वृद्धि करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(3) प्रदेश में मुख्यमंत्री सामाजिक पेंशन योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

7. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) विभिन्न पेंशन योजनाओं में पेंशन राशि बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) समस्त विधवा महिलाओं को पेंशन देने का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

वृद्ध व निःशक्तों को पेंशन राशि घर पहुंचकर देने का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 22

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय निकाय

मतदेय राशि रूपये– 13,75,71,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –18

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   संपत्ति कर 50 प्रतिशत करने का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) शहरीय विकास हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

   (2) स्थानीय निकायों, नगर निगमों के विकास हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

   (3) नगरीय निकाय अंतर्गत धातु खनन और धातु कर्म उद्योग हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

   (4) स्थानीय निकायों को प्रदान की गई राशि में कमी आई है।

   (5) नगरपालिका को सहायता हेतु राशि कम है।

3. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) भाटापारा नगर पालिका में सफाई की समुचित व्यवस्था हेतु राशि प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) भाटापारा में नवीन 100 कमरों का नगर भवन बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (3) संपत्ति कर 50 प्रतिशत कम करने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (4) नगरीय निकायों के सफाई कर्मचारियों को नियमित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (5) स्मार्ट सीटी में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।

   (6) भाटापारा व सिमगा नगर में नवीन उद्यान बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (7) बलौदाबाजार जिले में सीटी बस संचालन प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (8) भाटापारा गौरवपथ में रेलिंग लगाने का कोई उल्लेख नहीं है।

4. **श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) अरपा नदी में आ रहे गंदे पानी के निकासी हेतु नदी के दोनों तरफ नाली निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) शहरी विकास हेतु अधिक राशि उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) नगरीय निकायों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) अनु. जाति बाहुल्य नगरीय निकायों के विकास हेतु पर्याप्त राशि प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) नगरपालिक निगम धमतरी में हाईटेक बस स्टेण्ड कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) नगरपालिक निगम धमतरी में गोकुल नगर बसाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) नगर पंचायत आमदी के तालाबों के सौंदर्यीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बलौदाबाजार नगर पालिका वार्ड क्रमांक 07 में तालाबों का सौंदर्यीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) बलौदाबाजार नगर पालिका वार्ड क्रमांक 02 में रोड निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) बलौदाबाजार नगर पालिका वार्ड क्रमांक 17 के मोक्षधाम के सौंदर्यीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) बलौदाबाजार नगर पालिका वार्ड क्रमांक 08 में नाली निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) बलौदाबाजार नगर पालिका वार्ड क्रमांक 06 में नाली निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) बलौदाबाजार नगर पालिका वार्ड क्रमांक 17 में गार्डन चौक से रिसदा रोड तक सीसी रोड निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) बलौदाबाजार नगर पालिका वार्ड क्रमांक 03 में नाली निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) बलौदाबाजार नगर पालिका वार्ड क्रमांक 16 में नाली निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(9) बलौदाबाजार नगर पालिका वार्ड क्रमांक 08 में तालाब का सौंदर्यीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(10) बलौदाबाजार नगर पालिका वार्ड क्रमांक 03 में नहर किनारे रोड निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(11) बलौदाबाजार नगर पालिका वार्ड क्रमांक 04 में नगरपालिका के सामने रोड निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 69

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय कल्याण

मतदेय राशि **रूपये–8,68,96,72,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –18

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) शहरों में नये तालाब एवं पार्क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) स्मार्ट सिटी में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) नगर पंचायत सरगांव, विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली में सामुदायिक भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

2. डॉ. रमन सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

राजनांदगांव जिले के बुढ़ा सागर के सौंदर्यीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

संपत्ति कर आधा करने का कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सबके लिये शहरी आवास योजना हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

5. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्राम पंचायत कुण्डा, तहसील–पंडरिया, जिला–कबीरधाम को नगर पंचायत का दर्जा प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) ग्राम पंचायत गोंडखाम्ही, विकासखण्ड–लोरमी, जिला–मुंगेली को नगर पंचायत का दर्जा प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) नगर पंचायत लोरमी, जिला–मुंगेली को नगर पालिका परिषद का दर्जा प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) शहरी क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों को दो कमरे का मकान प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(2) सिमगा के चौक–चौराहों में सौंदर्यीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) नगरीय क्षेत्रों में अवैध कब्जों को हटाने का कोई उल्लेख नहीं है।

7. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

निगम कर में कटौती करने का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बेलतरा विधान सभा के संपूर्ण वार्डों में अमृत मिशन के तहत् पाईप लाईन विस्तार करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) बिलासपुर नगर निगम के अरपा पार को नवीन नगर निगम बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) बेलतरा विधान सभा के अधोसंरचना विकास हेतु राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) बिलासपुर नगर निगम के मूलभूत समस्याओं के निराकरण हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में हो रही अवैध प्लाटिंग को रोकने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) संपत्ति कर आधा करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) बिलासपुर नगर निगम के सीवरेज कार्य को पूर्ण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 81

नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि रूपये– 26,41,57,12,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –18

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम को सही तरीके से संचालित करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) गौण खनिज से प्राप्त राजस्व की राशि में कमी के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) स्कूल शिक्षा हेतु निकायों को अनुदान राशि प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (3) यात्री कर समाप्त किये जाने के एवज में स्थानीय निकायों को विशेष अनुदान राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

   (4) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन की राशि कम है, वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) नगर पालिकाओं के प्लेसमेंट कर्मचारियों की वेतन वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।

   (2) शहरी क्षेत्रों के स्वच्छता कार्यक्रमों का सही क्रियान्वयन करने का उल्लेख नहीं है।

   (3) नगरों के विकास के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 18

श्रम

मतदेय राशि रूपये– 1,56,04,17,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –16

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) श्रमिक कन्या योजना प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश के मजदूरों को पर्याप्त रोजगार प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश के बढ़ते हुए पलायन को रोकने हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

श्रम विभाग की बंद की गई योजनाओं को प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

4. **श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश के श्रम कानूनों में सुधार करने का कोई उल्लेख नहीं है।

5. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) श्रमिकों के पंजीयन पश्चात् समुचित सुविधा प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश के श्रमिकों के पलायन को रोकने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) भाटापारा में बाल श्रमिकों हेतु विद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) श्रम एवं श्रमिकों के कल्याण हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) असंगठित मजदूरों के कल्याण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) श्रमिक पंजीयन के प्रचार–प्रसार के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

6. **श्री ननकीराम कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बाल श्रमिक को रोकने हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

7. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) हितग्राही मूलक योजना प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) पलायन करने वाले मजदूरों को प्रदेश में रोजगार प्रदान कर, पलायन रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

9. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र स्थित कंपनियों में उचित मजदूरी का उल्लेख नहीं है।

(2) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र स्थित कंपनियों में मजदूरों के कार्य अवधि का उल्लेख नहीं है।

10. श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बिन्द्रानवागढ़ विधान सभा में श्रमिक विद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 39

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 25,48,46,80,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 29

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) बिल्हा में सहायक खाद्य अधिकारी कार्यालय खोले जाने का प्रावधान नहीं है।

   (2) प्रदेश में प्रत्येक परिवार को 35 किलो चावल प्रतिमाह 01 रूपये की दर से उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है।

   (3) पीडीएस सिस्टम में कालाबाजरी रोकने कोई उपायों का प्रावधान नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) खाद्य पदार्थो में मिलावट रोकने कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

   (2) रायपुर में पी.डी.एस दुकान निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) खाद्य भंडारण और भंडारण के लिए राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) खाद्य और भंडारण और भंडागारण पर पूंजीगत व्यय कम है।

   (3) खाद्य और भंडारण और भंडागारण पर पूंजीगत व्यय की राशि में कटौती की गई है।

   (4) नागरिक आर्पूति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति की राशि में कटौती की गई है।

4. **श्री ननकीराम कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   खाद्य व्यवस्था राज्य में सुचारू करने राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

5. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) फर्जी राशन कार्ड के सत्यापन कराने जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।

   (2) प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को 6 मुफ्त गैस सिलेण्डर प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

   (3) खाद्य पदार्थो में मिलावट की रोकथाम के लिए पर्याप्त राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

   (4) जीवनोपयोगी वस्तुओं के बढ़ते मूल्य पर नियंत्रण उपायों का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) प्रदेश में खाद्य नीति सुधारने का कोई प्रावधान नहीं है।

(6) प्रदेश के राईस मिलरों को सड़ा घास उठाने के लिए दबाव बनाने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(7) भाटापारा विधानसभा क्षेत्रों के दुकान सह गोदाम निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

(8) प्रदेश के खाद्य विभाग को प्रावधानित राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

6. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम–चंदनिया में नवीन खाद्य भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं किया गया है।

(2) अकलतरा विधानसभा के बलौदा में नाबार्ड सहायता के तहत खाद्य गोदाम निर्माण करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) गुड़ वितरण योजना का पूरे प्रदेश में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

7. श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में नई राशन दुकानों को खोले जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

8. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में सभी लोगों को सस्ता राशन देने का उल्लेख नहीं किया गया है।

(2) नये राशन कार्ड बनाने का कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 26

संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि रूपये **52,45,89,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 30

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) जिला–बिलासपुर के बिल्हा में महापुरूषों की जंयती अवसरों पर सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम आयोजित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
   (2) जिला–बिलासपुर के बिल्हा में छत्तीसगढ़ी कलाकारों को आगे बढ़ाने हेतु सांस्कृतिक/कार्यक्रमों का आयोजन किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
   (3) बिल्हा अंतर्गत अनुसूचित जाति की कला संस्कृति पर प्रभावी व्यय बजट का कोई प्रावधान नहीं है।
   (4) ग्राम–उमरिया विकासखण्ड तिल्दा, जिला–बिलासपुर काली मंदिर में मंगल भवन निर्माण कराये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
   (5) ग्राम–मुंडा देवी विकासखण्ड–पथरिया में आदिवासी संस्कृति मंच में छज्जायुक्त निर्माण किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) कोविड काल में कलाकारों की आर्थिक सहायता का उल्लेख नहीं किया गया है।
   (2) सभी संस्कृति कर्मी के पेंशन का कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्यः एक रूपये की कमी की जावे.**
   क्ला और सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

4. **श्री नारायण चंदेल, सदस्यः एक रूपये की कमी की जावे.**
   संस्कृति शिक्षा हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

5. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) संस्कृति शिक्षा हेतु पर्याप्त राशि का कोई प्रावधान नहीं है।
   (2) प्रदेश के गांवों में देवमुड़ी निर्माण मरम्मत संधारण कराने का कोई उल्लेख नहीं है।
   (3) प्रदेश के कला संस्कृति भवन संग्रहालय के निर्माण हेतु राशि का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(4) प्रदेश की प्राकृतिक धरोहर संरक्षित करने हेतु कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(5) भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के लोक कलाकारों के लिए कार्ययोजना बनाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(6) प्रदेश के सांस्कृतिक एवं साहित्य के संरक्षण के लिए अभिलेखागार निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।

(7) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सिगारपुर में मावली माता मंदिर में मंगल भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं किया गया है।

6. श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

लोक कलाकारों हेतु पर्याप्त राशि प्रदान करने को कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

मांग संख्या – 31

योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 54,06,98,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 23

श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) गेजेटियर और सांख्यिकी विवरण हेतु प्रस्तावित राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) नवाचारों का बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यय के लिये कोई राशि का प्रावधान नहीं किया गया है।

(3) जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं किया गया है।

मांग संख्या– 9

राजस्व विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि रूपये 21,93,45,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –07

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) कृषि भूमि का बाजार मूल्य डायवर्टेड भूमि के बराबर करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) पटवारियों की कमी दूर करने नवीन नियुक्ति करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया के सरलीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) उपतहसील सरगांव को पूर्ण तहसील का दर्जा प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) प्रदेश के कोटवारों एवं ग्राम पटेल के मानदेय में वृद्धि करने का का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) प्रदेश में भूमिहीन परिवारों को भूमि प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया के सरलीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) शासकीय भूमि से अवैध कब्जा हटाने का कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री नारायण चंदेल,, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) पलायन रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(2) जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया के सरलीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

5. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश में राजस्व प्रकरणों के निपटारे हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया के सरलीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश के कोटवारों के मानदेय में वृद्धि करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश के भूमिहीन परिवारों को भूमि दिलाने का उल्लेख नहीं है।

(5) कृषि भूमि का बाजार मूल्य डायवर्टेड भूमि के बराबर करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

6\. **श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

ग्राम–कुण्डा, विकासखण्ड–पंडरिया, जिला–कबीरधाम को तहसील का दर्जा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

7\. **श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश के भूमिहीन परिवारों को भूमि प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

8\. **श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर की तहसील जैजैपुर में अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर की उप तहसील हसोडे को तहसील में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर की उप तहसील भोथिया को तहसील में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

9\. **श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बेलतरा को पूर्ण तहसील का दर्जा देकर कार्यालय प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

10\. **श्री ननकीराम कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

नई तहसील खोलने हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 8

भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन

मतदेय राशि **रूपये 15,03,97,05,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –07

1. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   भू–राजस्व पुस्तिकाओं के आधुनिकीकरण करने का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) भू–अधिग्रहण के लिये उचित नीति बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) राजस्व भूमि से अतिक्रमण हटाने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (3) भाटापारा को जिला बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (4) प्रदेश में अवैध प्लाटिंग को रोकने की कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

   (5) प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (6) प्रदेश के गांवों एवं शहरों में हो रहे अवैध कब्जों को रोकने की कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

   (7) प्रदेश के तहसील कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने की कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

4. **श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   बेलतरा विधान सभा के बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में शासकीय भूमि के अवैध ढंग से हो रहे क्रय–विक्रय को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 35

पुनर्वास

मतदेय राशि **रूपये 1,94,03,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –28

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   ग्राम भोजपुरी सड़क चौड़ीकरण में जिनका घर तोड़ा गया है उनके पुनर्वास का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) भूमिहीन परिवारों को पट्टा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

   (2) पुनर्वास नीति बनाने और पुनर्वासित लोगों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र के मजदूरों के पलायन रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

   (2) प्रदेश के भूमिहीन परिवारों को पट्टा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश के मजदूरों के पलायन रोकने के ठोस उपायों का उल्लेख नहीं है।

5. **श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश उद्योगों द्वारा पुनर्वास नीति का पालन नहीं करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 58

प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

मतदेय राशि रूपये 11,10,74,60,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –07

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   पथरिया तहसील के अंतर्गत पिछले वर्ष की फसल की आपदा क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   किसानों को आपदाओं से राहत एवं पुननिर्माण की नीति का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश में बाढ़ बचाव हेतु पर्याप्त अनुदान राशि का उल्लेख नहीं है।

   (2) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल सहायता राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।